& powerloom goods. Besides, registered exports get replenishment licences for dyes & chemicals. Awards are also given by the Handloom Export Promotion Council to top exporters. Weavers' Service Centres assist the exporters with improved designs, etc.

Expansion of Textile Industry

3755. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided upon the question of allowing expansion of the textile industry to meet the Fifth Plan requirements;

(b) if so, the broad outlines of the decision, the number of spindles and looms and the locations where the expansion will be allowed; and

(c) if not, how Government propose to reach the targets of production of cloth and yarn in the Fifth Plan period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) to (c). In connection with the formulation of policies and programmes relating to the development of textile industries in the Fifth Plan Period, the Planning Commission have constituted a Task Force. The report of the Task Force is awaited.

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DISCONTENT AND AGITATION ON BANARAS HINDU UNIVERSITY FOLLOWING ARREST OF STUDENT LEADERS

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"छात्र नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में व्याप्त असन्तोष और क्षोभ का समाचार।"

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN): The House will recall that I had made a statement on December 12, 1972, explaining the circumstances leading to the closure of the University on December 8, 1972. The Vice-Chancellor appointed on December 23, 1972, a three-man Inquiry Committee under the Chairmanship of Mr. Justice Gyanendra Kumar (Retd.) to enquire into the various allegations of serious indiscipline and misconduct on the part of 32 students, who were duly charge-sheeted and suspended from the privileges of the University, pending inquiry.

The Committee has submitted its report in respect of 16 students only. In the Committee's opinion charges had been established against six students and no charges could be established against the remaining ten students, who have since been permitted to attend classes. The six students were found guilty by the Committee on one or more of the following charges:—

Committing arson and damaging the University property; assault on a research scholar and teacher; blockading University Main Road; using insulting language and holding out threats to University officials and teachers and casting very serious and derogatory aspersions on the character of Vice-Chancellor and Registrar.

Out of them, four students have been expelled and two rusticated for three years by the University. The report

[Prof. S. Nurul Hasan]

regarding the remaining 16 students is awaited. They have, however, been allowed to attend classes, pending inquiry.

The University started reopening from February 5, 1973 in phases. The final phase was completed on February 28, 1973. Soon after, the expelled and rusticated students started agitating. A meeting was organised outside the main gate of the University on March 6. It was announced that another meeting will be held on March 10 and that the students along with 20,000 others coming from various parts of the State would march into the campus. On the advice of the District authorities, the classes in the University were suspended on March 10. The schools and colleges in the city were also closed.

On March 10, a meeting was organised at the main gate of the University and was addressed by some political leaders. Inside the Campus, another meeting was organised by some students believed to be associated with the Vidyarthi Parishad SYJS workers. On the arrival of the police, students pelted stones and the police made a mild lathi charge. Twenty-two students were arrested for rowdyism. Besides, 44 students courted arrest by defying the ban on the holding of meetings, which had been imposed under section 144 Criminal Procedure Code as a precautionary measure against possible violence. They were sentenced to imprisonment till the rising of the Court.

On the morning of March 12, some expelled students and other anti-social elements entered into the campus in large numbers. They disturbed classes, held meetings and marched in a procession. They attempted to set fire to a Cooperative Store and damaged two vehicles. Fourteen students were taken into custody. ,

On March 13, a meeting was again organised at one of the gates of the University and a call was given to boycott classes on March 14. However, classes functioned normally in all the Faculties, except in the Faculties of Art and Social Sciences where most of the undergraduate students had left for their homes on account of Holi. At about 11 A.M. on that day, an attempt was made to set the Department of Urdu, Persian and Arabic on fire. An adjacent room, where furniture was stacked, was set on fire. The estimated loss on this account is about Rs. 20,000.

It appears that certain interested elements want to exploit a section of the students and are determined to create disturbances in the University to prevent its normal functioning. I appeal to all sections of this House and leaders of public opinion to use their influence for restoring the normal and peaceful conditions in this great seat of learning. I may also add that the Government has been giving and proposes to give all support to the Vice-Chancellor and the legally constituted authorities of the University to take all the necessary steps so that the academic functioning of the University becomes possible.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह पहला अवसर नहीं है जब इस सदन में हिन्दू विश्वविद्यालय का मामला उठा है। हिन्दू विश्वविद्यालय कई वर्षों से इस सदन का और सारे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पिछले सवा तीन साल में यह विश्वविद्यालय चार बार बन्द हो चुका है। कुल मिला कर जिस काल के लिए यह विश्वविद्यालय बन्द रहा वह आठ महीने होता है। आप जानते ही हैं कि शिक्षा के एक सत्र में यह अर्सा कितना ज्यादा होता है ———(इंटरप्शंज)।

दो सौ विद्यार्थी विश्वविद्यालय से विभिन्न आरोपों में निष्कासित किये जा चुके हैं। मंत्री जी के वक्तव्य से पता लगता है निष्कासन

की कार्रवाई अभी भी जारी है । स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय को बन्द करने से या कुछ छात्रों को विश्वविद्यालय में से निकालने से समस्या हल होती तो अभी तक समस्या हल हो जाती ——————

श्री रामधन (लालगंज) : जब तक आर० एस० एस० भवन नहीं हटेगा यह समस्या वैसे ही रहेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इसका उत्तर देने में समर्थ हूं । भवन मालवीय जी की इच्छा से बना था और अगर हटेगा तो कोर्ट की राय से हटेगा । आप में हिम्मत हो तो हटा कर दिखाएं ।

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : महामना मालवीय जी को क्या पता था कि आर० एस० एस० गांधी जी की हत्या करेगा ? क्या स्वप्न में भी उन्होंने ऐसा ख्याल किया था ? वरना ..... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप स्टुडेंट्स के बारे में, नई जेनेरेशन के बारे में, विचार कर रहे हैं । अगर आप की जेनेरेशन उससे भी ज्यादा गर्म है तो कैसे काम चलेगा ? आप क्या मिसाल पेश कर रहे हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आर० एस० एम० का भवन वहां रहे या न रहे, यह बड़ा सवाल नहीं है । वह मामला अदालत में है । उसका फ़ैसला आ जाये । अगर उस में कहा जायेगा कि भवन हट जाये, तो वह हट जायेगा ।

विश्वविद्यालय के मामले को जरा गहराई से देखना होगा । क्या विश्वविद्यालय का मामला केवल कानून और व्यवस्था को बनाये रखने का मामला है ? क्या केवल पी० ए० सी० तैनात कर के, विश्वविद्यालय को एक पुलिस छावनी का रूप दे कर विद्यार्थियों को संतुष्ट किया जा सकता है ? आज विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० पड़ी है, हिंसात्मक घटनायें हो रही हैं, छात्र हड़ताल पर हैं, समूचे काशी नगर में असंतोष विद्यमान है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि विद्यार्थियों में जो व्यापक असंतोष पैदा हुआ है, उस के कारण शैक्षणिक, ऐकेडेमिक हैं ।

क्या यह सच नहीं है कि विद्यार्थियों को शिकायत है कि विश्वविद्यालय में भर्ती में भेदभाव किया जाता है ? (व्यवधान) ।

शिक्षा मंत्री इस बात की पुष्टि करेंगे कि अभी विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधि-मंडल उन से मिला था । उस ने राष्ट्रपति महोदय और शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विरुद्ध ठोस और गम्भीर आरोप लगाये गये हैं । मैं एक ही आरोप पढ़ना चाहता हूं :

"Students getting 38 per cent marks were admitted while those with 43 per cent marks were denied admission?

क्या यह सही है या ग़लत ? (व्यवधान)

शिक्षा मंत्री महोदय को याद होगा कि जब पहले ध्यान-दिलाओ नोटिस आया था तो मैंने आरोप लगाया था कि एक ऐसे विद्यार्थी को, जिस ने एम० ए० की परीक्षा दी थी, लेकिन एम० ए० पास नहीं किया था, एम० ए० के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

(व्यवधान) मैं इस की पुष्टि कर रहा हूं। मैं नाम लेने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान) मि० पटनायक—जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा दी थी, लेकिन जिन का परिणाम नहीं निकला था, मगर उन्हें एम० ए० के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नियुक्त कर दिया गया, जब कि एम० ए० पास और पी० एच० डी० विद्यार्थी उपलब्ध थे।

यह भी शिकायत है कि एपायंटमेंट्स में धांधली की जाती है और नियमों का कोई विचार नहीं किया जाता है। जियो-फ़िज़िक्स के रीडर की एपायंटमेंट के लिए जो सिलेक्ट कमेटी बनी थी, उसमें एक्स-पर्ट के रूप में बैठने के लिए डा० जे० सिंह, प्रोफ़ेसर (सीनियर स्केल), डिपार्टमें आफ़ एप्लाइड जियोफ़िज़िक्स, इंडियन स्कूल आफ़ माइन्ज, धनबाद को बुलाया गया। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि उन पर वाइस-चांसलर ने दवाव डाला कि जिस व्यक्ति को वाइस-चांसलर चाहते थे, उस को नियुक्त कर दिया जाये। डा० जे० सिंह ने विजिटर, राष्ट्रपति महोदय, को 21 अप्रैल, को जो पत्र लिखा, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। मैं वह पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

"Sub: Bungling in appointment in the Deptt. of Geophysics, B.H.U.

I am extremely sorry to place before you the following facts for your kind perusal and necessary action:—

1. That I was an expert for the post of Reader in Geophysics.

2. That the Selection Committee (including another expert Shri A. M. Awasthi) unanimously made its recommendation for the post.

3. That the Selection Committee interviewed the candidates on 15-4-72 from 11.00 a.m. to 12.30 p.m.

4. After the selection committee meet was disappeared; the V.C. and the Dean remained there and two other people joined them. I do not know what transpired between them But at about 1.15 p.m. we were called back and the Vice-Chancellor sought our support for the readvertisement of the post on the ground that some of the unqualified candidates were called for interview. This, however, was not a material ground from our point of view as we had interviewed the candidates keeping their qualifications in mind. I, however, inquired if any qualified candidate remained uncalled for interview to which the Vice-Chancellor's reply was that there may be hundreds of such cases. I then suggested that all the applications should be scrutinised in our presence to which he did not agree. Instead he asked me to sign a note prepared by him to support his view. But I refused to accept his view and gave a separate note (as per suggestion of the Vice-Chancellor) of my own on the subject.

5. The other expert, Shri A. M. Awasthi (Superintending Geo-Physicist, O.N.G.C.) also did not accept the Vice-Chancellor's view and he also gave a separate note.

6. However, the Vice-Chancellor managed to get the approval of his view by the Head of the Deptt. of Geophysics, B.H.U.

I, therefore, request you to look into the matter personally and save this university from such acts of bungling and humiliations and insults of the experts."

MR. SPEAKER: I am not allowing anybody else.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, यह टोका-टोकी क्यों हो रही है? मेरे सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री देंगे या यह भीड़ देगी? इस भीड़ की चिल्लाहट से हम डरने वाले नहीं हैं। ये लोग हमारा मुंह बन्द नहीं कर सकते। (व्यवधान)

इन में दूसरों की बात सुनने की सहनशीलता नहीं है। (व्यवधान)।

MR. SPEAKER: When the leaders of the parties are speaking, it is a matter of couresy for all of you to listen. I am not going to allow anything. If you are going to do like this, it will carry us to nowhere. The whole matter cannot be considered in a dispassionate manner if you do like this.

What is the use of bringing questions before the House, if you do like this?

आप मेरी तरफ देखा करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : देखता तो आपकी तरफ हूं लेकिन कान इनकी तरफ लगे रहते हैं। कानों को कैसे बन्द कर सकता हूं।

विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के बारे में कोई नियम नहीं है, अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है। इस में भेदभाव होता है, पक्षपात किया जाता है। विश्वविद्यालय के मामलों की जांच के लिए गजेन्द्रगडकर कमिशन बना था। उसकी सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं।

श्री रामधन उस में आर० एस० एस० भवन को भी हटाने की बात कही गई थी ...

MR. SPEAKER: I will have to name him if he interrupts like this. This is the second time he is doing it.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गजेन्द्रगडकर कमिशन ने डिसिप्लिनरी एकशन का प्रोसीजर भी तय होना चाहिए, इस तरह की सिफारिश की थी। आज स्थिति यह है कि सारी शक्ति वाइस चांसलर के हाथ में केन्द्रित हो गई है। वह जिस विद्यार्थी को चाहें निकाल सकते हैं, किसी निकले हुए विद्यार्थी को चाहें तो रख भी सकते हैं। इस मैमोरेंडम में शिक्षा मंत्री ने देखा होगा कि ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं। एक विद्यार्थी पर हत्या का आरोप था। वह विद्यार्थी जेल में बन्द था। रजिस्ट्रार ने स्पेशल आर्डर दे कर उस विद्यार्थी को विश्वविद्यालय में भरती कर लिया। वाइस चांसलर ने दावा किया है कि जो भी हिंसा करेगा उसके लिए विश्वविद्यालय में जगह नहीं होगी। मैं मानता हूं कि हिंसा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन हिंसा करने वालों की नापने के आप दो गज न रखें, एक ही आपको रखना होगा। मैं फिर मैमोरेंडम का आश्रय ले रहा हूं। मेरा खयाल है कि उन्होंने इसको पढ़ लिया होगा ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मैमोरेंडम कोट कर रहा हूं :

"But this year Shri Alok Singh, who was expelled in 1970 for using unfair means in the examination and misconduct involving violence on Dr. Bhora has been given admission by a stay order of the Registrar."

. . . .

मैंने हत्या के मामले में बन्दी विद्यार्थी का दूसरा मामला बताया है। इसीलिए गजेन्द्रगडकर कमिशन ने यह सिफारिश की थी कि डिसिप्लिनरी एकशन किस नियम

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी)
के अन्तर्गत लिखा जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके नियम बनने चाहिए। मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"unless disciplinary rules are provided for the procedure to be followed in taking disciplinary action against the delinquent students, it would not be possible for the students to know what procedure they are entitled to claim before any action is taken against them."

क्या यह सच है कि अभी तक इस बारे में कोई नियम नहीं बने हैं ?

क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय के बारे में शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस बिल को लाने का वादा किया था और जिस बिल के आने के बाद सारी ताकत वाइस चांसलर के हाथ में नहीं रहेगी, आज नामजद कमेटियां काम चला रही हैं और उनकी ताकत बढ़ रही है, तब ऐसा भी नहीं होगा, उसको क्यों नहीं लाया जा रहा है, उसको लगाने में देर क्यों की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री महोदय सारे मामले की जांच के लिए केवल विश्वविद्यालय में—विद्यार्थियों के व्यवहार के बारे में ही नहीं—बल्कि सारे मामलों की जांच के लिए, विद्यार्थियों के प्रवेश में अनियमितता अध्यापकों की नियुक्ति में पक्षपात गबन आदि की जांच के लिए क्या कमिशन नियुक्त करेंगे ?

मेरे पास समय सीमित है नहीं तो मैं बताता कि वाराणसी के एक जज ने क्या जजमेंट दी है। उस में कहा गया था कि विश्वविद्यालय में 13 लाख रुपये का गबन हुआ है जब कि विश्वविद्यालय वाले शिकायत ले कर गए थे कि 314 रुपये का गबन हुआ है। जब गवाहियां हुईं तो जज ने कहा कि यह तो 314 रुपये का मामला नहीं यह 13 लाख रुपये का मामला है। मालूम देता है कि उस मामले को दबा दिया गया और दबाने में वाइस चांसलर भागीदार हैं। क्या सरकार सारे मामलों की जांच के लिए कोई आयोग नियुक्त करेगी ? क्या उस आयोग को विद्यार्थियों द्वारा दिए गए मैमोरेंडम पर भी विचार करने को कहा जाएगा और तथ्यों को सामने लाया जाएगा ?

जब तक ऐसी जांच नहीं होती क्या शिक्षा मंत्री अपने मित्र डा० कालू लाल श्रीमाली को यह परामर्श देंगे कि वह त्यागपत्र दे दें या छुट्टी पर चले जाएं।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : गवर्नर बना दें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह गवर्नर पहले थे। पता नहीं उन्हें यहां क्यों ले आए ? उनके कार्यकाल में गड़बड़ हो रही है और वह विद्यार्थियों से राजनीति खेल रहे हैं। मेरे पास प्रमाण हैं जिनसे मैं इसको साबित कर सकता हूं जिन विद्यार्थियों को वह पसन्द करते हैं उनको रुपये देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं। जब तक वह वहां रहेंगे विश्वविद्यालय में शान्ति नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि शिक्षा मंत्री जी बार-बार यह न कहें कि सरकार उनके साथ खड़ी है। यह तो आग में घी डालने जैसा है। क्या आप वाइस चांसलर को भी कहेंगे कि मामला शान्ति से हल करने का वह प्रयत्न करे ?

अभी ज्ञानेन्द्र कुमार कमिशन ने रिपोर्ट दी है। आपने अपने वक्तव्य में बताया है कि 32 विद्यार्थियों पर आरोप लगाए गए थे और केवल छः पर साबित हुए हैं। इसका मतलब यह है या नहीं कि आरोप अन्धाधुंध लगाए जाते हैं, क्या

इसका यह मतलब नहीं कि आरोप राजनीतिक आधार पर लगाए जाते हैं ? दस विद्यार्थियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं हो सके । 16 विद्यार्थियों ने बहिष्कार किया था । उन्हें अब फिर विश्वविद्यालय में पढ़ने की आज्ञा दे दी गई है । इससे भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी बदले की भावना से कारवाई कर रहे हैं । शिक्षा मंत्री महोदय का वक्तव्य उनको बढ़ावा ही देता है । क्या वह उन पर किसी तरह का अंकुश लगाने की बात नहीं सोच रहे हैं ?

मैं चाहता हूं कि मेरे सारे सवालों का बड़ी सफाई के साथ जवाब दिया जाए

PROF. S. NURUL HASAN: Sir, I will try my best to clarify and give answers to all the points which my hon. friend has raised in his long speech. My only submission is that for some of the things I did not have adequate notice and, therefore, I may not be able to satisfy the hon. Member, But if the hon. Member wishes to have any further information, he can always put a question and I will try my best to collect all the information. Whatever information I have been able to collect I shall place at the disposal of the House.

The hon. Member, in his observations has raised certain principles which include, first of all, that disciplinary proceedings or the use of force cannot solve the problem of a university. I entirely agree with the hon. Member that this by itself cannot solve the problems of a university. But if there are certain elements howsoever misguided they may be who are determined to indulge in violence or determined to disrupt the normal functioning of a university, it is then the duty of the university authorities as of the Government to ensure that they cannot hold the entire academic community of ransom. (*Interruptions*). I am going to confine myself to the observations made by the hon. Member, Shri Atal Bihari Vajpayee. Other remarks, with the due respect to the hon. Members, may be made in the proper order and I shall deal with them.

MR. SPEAKER: Shri Piloo Mody is exciting both the sides. He is prompting me also!

PROF. S. NURUL HASAN: I have such personal regard for Shri Piloo Mody that he will not be able to provoke me.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: It is now clear that there is collusion between Shri Piloo Mody and the Education Minister.

MR. SPEAKER: If he is there as the Education Minister, I will be occupying that place!

PROF. S. NURUL HASAN: I think, the information of the hon. Member is not correct that there is a strike. According to the information that I have received, the University functioned normally even yesterday except for those under-graduates of nearby places in the faculties of arts and social sciences who had left for home for Holi holidays. If the hon. Member remembers his own student days, he would recall that Holi is a festival when people like to go to their home towns and they try to add two or three days to the normal Holi holidays. The observation made by the hon. Member that the root cause of the troubles is academics. That is, I would most respectfully submit, too drastic and hasty an observation with which I cannot possibly agree. If there are any specific cases wherein it is possible to make an inquiry, then every such case which is brought to the notice of the Visitor or of the Government will certainly be examined properly and adequately. In this connection I would submit that only recently I was given by a deputation of some students of Banaras Hindu University a memoran-

[Prof. S. Nurul Hasan]

dum. It has been given very recently to me. It is in Hindi, I take a little long time to read. I cannot read it as fast as I can read my own language (*Interruption*) I can only react to what has been given to me. I am going through it. I cannot pass any judgment on any memorandum until I have had the occasion to examine, to make enquiries. I have told the young people that I will go into it. I do not want that there should be any misunderstanding in the House that that memorandum will not be examined by the Ministry. I will certainly examine it, and if there is any action that is needed, suitable action will certainly be taken.

The hon. Member referred to the letter of Dr. Singh in regard in the Selection Committee for a post in the Department of Geo-physics. I do not remember having seen that letter, but I will make enquiries about that letter. If the hon. Member wishes to make any specific enquiry privately, I can attend to it, or, if he wishes to give notice for a question, I will certainly make the necessary enquiries and make the information available to the hon. Member.

In regard to the earlier incident the hon. Member would recall that, in the case of Shri Patnaik, he was not issued an appointment order before his results had been announced....

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He was selected.

PROF. S. NURUL HASAN: He was selected conditionally. He was a very brilliant student. The announcement of the result was unduly delayed by the University. Provisionally his name was considered and it was decided, as far as my memory goes—I do not have the facts with me....(*Interruption*) I am only talking from memory. The hon. Member had referred to it last time and I had gone into it. But I thought that, on this particular occasion, this case would not be taken up. Otherwise, I would have brought the file with me, I am talking from memory. I am subject to correction in any detail....

AN HON. MEMBER: You will land yourself in trouble if you speak from memory.

PROF. S. NURUL HASAN: I will throw myself at the mercy of the House and apologise if there are any errors. I am stating that I am talking from memory. Errors are possible. But I think the House is entitled to know the facts as far as I recollect and as far as I remember, I do not want to keep anything or hold back anything from the hon. House.

In regard to the wider question that there is no policy regarding the appointment of teachers, I would most respectfully submit that here is a well-defined policy. All appointments are made on the recommendations of a duly constituted Selection Committee whose procedure has been spelt out in detail in the statutes and no appointment can take place which is in violation of the statutes and if there is any specific complaint that a statute has been violated. I have no doubt that I would make a suitable submission to the Visitor for his consideration in such a case.

It has been said that there is no procedure regarding disciplinary proceedings against students. The hon. House would recall what I submitted a few minutes ago, that is to say, that even though the University considered that certain students had been guilty of indiscipline, it did not act itself. It appointed a high-power committee presided over by a retired judge of the High Court. That committee found six students to be guilty and ten students not to be guilty and the University accepted this recommendation. Therefore, to say that there is no procedure or that the University has been acting maliciously is, in my opinion, a most unfair criticism of the University. There are many cases in

which a proof is not possible although people may think that an indiscipline has been committed, but the fact that the University abides by the verdict of an impartial inquiry committee shows that there is no arbitration in the action which is being taken by the University.

It has been said that there has been a delay in the introduction of a comprehensive Bill. The hon. Member made certain gratuitous remarks. If his remarks are to be believed I will not come forward with any Bill. Anyway, the position in regard to that is that at the instance of the University Grants Commission, a Working Group was asked to go into all the aspects of the question and prepare the draft outline of a Bill. That Working Group, I understand, has submitted recently its report to the University Grants Commission. The University Grants Commission, I have no doubt, will consider those proposals as early as possible and then the matter will come to the Government. I think that Commission is certainly desirable.

The hon. Member has asked specifically whether I would appoint a committee of inquiry. Now, I must have concrete material......

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Here is the material.

PROF. S. NURUL HASAN: The material which has been submitted, as I stated earlier, will be examined by me. If, after examination, I feel that the Government should give a suitable advice to the Visitor, I will not hesitate to do it. First let me have a look at it. Let me examine it. How can I accept a demand without even examining the charges that have been levelled before me?

Lastly, it is said that I should ask the Vice-Chancellor to resign or go on leave. I would like to repeat what I have stated that I will give full support to the Vice-Chancellor and the legally constituted authority of the University unless it is proved that there is something which is seriously wrong with the functioning of the Vice-Chancellor.

SHRI PILOO MODY: In which case what will you do?....(*Interruptions*).

MR. SPEAKER: Mr. R. K. Sinha—absent.

Mr. Shankar Dayal Singh—also absent.

SHRI PILOO MODY: They have all taken leave a few days earlier and gone for Holi.

MR. SPEAKER: Mr. S. M. Banerjee.

SHRI PILOO MODY: He, unfortunately is here, Sir.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। मैं आशा करता था कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जो घटनाएं घट रही हैं कम से कम उनको वह राजनीति से ऊपर उठ कर देखने की कोशिश करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सवाल किया है कि वहां कानून या रूल है या नहीं नियुक्तियों के बारे में? इससे पहले भी वहां भरतियां हुई हैं। लेकिन ये तमाम गड़बड़ियां क्यों की जा रही हैं? अभी गजेन्द्रगडकर कमिशनर की सिफारिशों की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि जब तक डा० श्रीमाली वहां हैं शान्ति नहीं हो सकती है। अगर वह बुरा न मानें तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि जब तक आर०एस०एस० भवन वहां है तब तक शान्ति नहीं हो सकती है .... (इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय, हमारे पास पंद्रह तारीख का टैलीग्राम आया है। उस में यह है:

Two bombs were hurled last night at BHU registrar Raturi by RSS agitators. One Bomb exploited with loud bang. Luckily unhurt, Police

(श्री एस० एम० बनर्जी)

took charge of unexploded bomb and splinters of exploded bomb. Yesterday RSS gangsters set fire to Urdu, Persian and Arabic Departments in Arts College.

श्री रतूरी वहां रजिस्ट्रार हैं । यह तार वाराणसी से आया है । मुझे ताज्जुब होता है कि ये बम वहां पर फेंके गए । यह चीज अखबारों में भी आई है । अटल जी ने कानून की बात की है । लेकिन रजिस्ट्रार के दफ्तर पर बम चलाए जांये, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहें उनको पढ़ने न दिया जाए, क्या यह कानून है? वहां एक कमेटी बनी थी, बी० एच० यू बचाओ । काशी विश्वविद्यालय को बचाने के लिए एक कमेटी बनी थी । दस मार्च को वहां पर मीटिंग की गई है । मुझे माफ किया जाए अगर मैं यह पूछूं कि क्या श्री पीताम्बर दास जो दूसरे सदन के मेम्बर हैं क्या वहां मौजूद नहीं थे ? क्या यह भी सही नहीं है कि एक और एम पी श्री सत्य नारायण सिंह जो सी०पी० एम० के हैं बदकिस्मती से वहां मौजूद नहीं थे ? क्या कांग्रो के लीडर वहां मौजूद नहीं थे ? क्या उनके होते हुए यह फैसला नहीं लिया गया कि दस तारीख को चल कर यूनिवर्सिटी पर कब्जा किया जाए ? उस वक्त कोई छः सात हजार विद्यार्थी वहां मौजूद थे । लेकिन जब कब्जा करने गए तो क्या यह सही नहीं है कि के ल 150 विद्यार्थी ही थे? उन्होंने यूनिवर्सिटी पर कब्जा क्या करना था, वे तो सिर्फ आर एस एस भवन पर ही कर सकते थे । उनको वहां से हटा दिया गया । ग्यारह तारीख को उन्होंने फिर कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए । मैं जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी कोई कानून था या नहीं था ? विद्यार्थियों के खिलाफ चार्जिज हैं जिनकी जांच हो रही है। प्रश्न यह है कि क्या उनको वापिस लिया जाए या न लिया जाए ? मैं कहता हूं कि न्याय किया जाना चाहिये । अगर गलत तरीके से किसी को निकाला गया है तो मैं चाहूंगा कि उसको वापिस ले लिया जाए । सोलह हजार विद्यार्थियों में से ज्यादातर पढ़ना चाहते हैं शान्तिपूर्ण ढंग से । मैं पूछना चाहता हूं कि पिस्तौल दिखा कर या बम चला कर या दूसरे तरीकों से वहां के वातावरण को खराब किया जाना चाहिये और उसकी इजाजत होनी चाहिये ? इस तरह की चीजें पहले भी हुई हैं । पिछली बार वहां पर बाहर जो फोटोग्राफर की दूकान है उस दूकान पर कुछ विद्यार्थी आए और गोली से एक विद्यार्थी की हत्या कर दी । वहां पर कमिशनर मुस्तफी साहब गए । उन से बातें हुई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का भी ध्यान आपने इस तरफ खींचा है ? वहां से मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए? तमाम चीजें उनके नोटिस में आप लाए हैं और लाए हैं तो उन्होंने क्या एक्शन लिया है ? जो ला एंड आर्डर का प्राबलैम वहां चल रहा है क्या उसकी ओर उनका ध्यान दिलाया गया है? अगर दिखाया गया है तो सी आर पी जोकि दूसरे आन्दोलनों को दबा देती है, वहां खामोश क्यों है ? मैं एक मिनट के लिए भी नहीं चाहता हूं कि चाहे पी ए सी हो या सी आर पी हो या साधारण पुलिस हो वह हमारे बच्चों पर अत्याचार करे । लेकिन उन बच्चों का सहारा लेना और उनके कन्धों पर रखकर बन्दूक चलाना राजनीतिक तरीके से, इसको आप चलने न दें । मैं बतलाना चाहता हूं कि जितनी भी प्रगतिशील ताकतें हैं उनको चाहे जान भी देनी पड़े वे उनका मुकाबला करेंगी । यह नहीं हो सकता है कि किसी चीज को धर्म के नाम पर चलाया जाए । वाजपेयी जी ने कहा कि स्वर्गीय मालवीय जी ने भवन बनाया था और आर एस एस को दिया था । मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें मालूम नहीं था कि इस तरह की घटनाएं भी वहां इनके द्वारा बरपा की जा सकती हैं, इस तरह की स्थिति इनके द्वारा वहां पैदा की जा सकती है, इस तरह

के जुल्म भी ये करते हैं और उनको मालूम होता तो फिर वह स्वयं ही इस चीज को खत्म कर देते, इनके नाम पर दिए गए भवन को कैंसल कर देते या किसी दूसरे के नाम पर इसको लिख कर जाते ।

उस भवन का फैसला हो चुका है । कमिशन की रिपोर्ट भी है कि इसको वहां से हटाया जाए । कचहरी में केस चल रहा है । कोर्ट में गवर्नमेंट भी एक पार्टी बन चुकी है । मैं कहूंगा कि जल्दी इसको वैकेट कराने की कोशिश आप करें और उस पर आप कब्जा करें । अगर आप नहीं कर सकते हैं तो विद्यार्थी अपनी जान की बाजी लगा कर भी वहां पर कब्जा करेंगे । आर एस एस वाले लड़ाई करना चाहते है तो करें । लेकिन कुछ लड़के ऐसे जरूर हैं जो प्रगतिशील हैं और वे उस पर कब्जा करेंगे, वे उस पर कब्जा करके रहेंगे । लेकिन जन संघ के लीडरों से मेरी अपील है कि वे इस चीज पर सोचें और बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी चलनी चाहिये या नहीं चलनी चाहिये ।

श्रीमाली जी से पहले त्रिगुण सेन के वक्त में क्या आन्दोलन नहीं किया गया था, मैं आप से यह जानना चाहता हूं । जब छागला साहब थे क्या उस वक्त भी नहीं किया गया था ? सवाल यह नहीं है कि डा० श्रीमाली रहें या न रहें । सवाल यह है कि जिस को आर एस एस चाहता है वह रहेगा या नहीं रहेगा ? क्या जिस को आर एस एस चाहता है वही रहेगा और दूसरा कोई नहीं रहेगा ? यह नहीं हो सकता है । काशी विश्वविद्यालय उनकी मर्जी के अनुसार चले यह नहीं हो सकता है ।

जो चीज वहां चल रही है इसको थोड़ा सा आशीर्वाद श्री राज नारायण जी भी देते जा रहे हैं । उनको मालूम नहीं है कि जिन लड़कों के भविष्य के साथ, जिन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ थे, खिलवाड़ कर रहे हैं उस में हो सकता है कि हमारा बच्चा भी हो ।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं— क्या यह रिपोर्ट सही है कि वहां पर दो बम जलाये गये और पुलिस की कस्टडी में वाकई बम हैं ? यदि हैं, तो कौन सी कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि जो एक्शन उन विद्यार्थियों के विरुद्ध लिया गया है, जो उत्पात करने वालों के खिलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे, उल्टा उन को ही पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और गिरफ्तार किये जा रहे हैं?

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कचहरी में जो केस यूनिवर्सिटी कैम्पस के भवन के बारे में चल रहा है, वह कब खत्म होगा और इस के बारे में सरकार कौन से कदम उठा रही है कि उस भवन के ऊपर यूनीवर्सिटी का कब्जा हो और वहां से शाखाओं को तोड़ दिया जाय ।

आखिर में फिर एक बात कह दूं— हमारी सूचना के अनुसार इस समय 32 शाखायें वहां पर काम कर रही हैं । जब 32 शाखायें वहां पर काम कर रही हों, तो उस यूनीवर्सिटी का क्या भविष्य होगा ? इन सब बातों का जवाब देते हुए एक चीज साफ़ हो जानी चाहिये—वहां से वाइस-चांस्लर ने इस तरह की एक्टिविटीज़ को खत्म करने के लिये जो कदम उठाये हैं—उनकी जांच कर ली जाय कि उन्होंने जो कदम उठाये वे सही है या नहीं हैं । अगर गलत तरीके से किसी को हानि पहुंचाई गई है तो उस को ठीक किया जाय, लेकिन जो विद्यार्थी ऐसी पोलिटीकल पार्टीज़ के साथ ताल्लुक रखते हैं, जिन की राजनीति है—उपद्रव कराना, उन से डरना नहीं चाहिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी

ऐसे मौके पर मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा—वाजपेयी जी ने मांग की है कि कमीशन मुकर्रिर किया जाय, मैं चाहता हूं कि एक पार्लियामेंन्ट्री कमेटी वहां जा कर देखे । अभी राजदेव सिंह जी ने कहा है—वे वहां के मेम्बर भी हैं—कि दूसरी पार्टीज़ के लोग वहां गये थे । पार्लियामेन्ट के मेम्बर्ज़ हर जगह जा सकते हैं लेकिन यह बात गलत होगी कि ऐसे मौके पर जब वहां के वाइस चांस्लर इस तरह की चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हों, उन के हाथों को इसलिये कमज़ोर किया जाय कि आर० एस० एस० को उन की शक्ल अच्छी नहीं लगती । मैं फिर कहुंगा कि अपने दिल को टटोलो, राजनीति से ऊपर उठ कर चीज़ का फैसला करो । यह सिर्फ लीडरशिप का सवाल नहीं है, कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी का सवाल भी आ सकता है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फैसला करें । मैं जानता हूं—अगर मैं दिल्ली यूनीवर्सिटी की बात कहूं—वहां पर भी लोग मुस्लिमों के मुहाफिज़ बन कर भाषण देने के लिये चले जाते हैं....... (व्यवधान)...........

MR. SPEAKER: Order, order. The House is not taking notice of that.

यह क्या बात है, एक मेम्बर बोल रहे हैं, उस वक्त जो बातें आप आपस में करें, हाउस उसको नोटिस में नहीं लेता है, उस को रिकार्ड में नहीं लिया जाता है । लेकिन यह बात अच्छी नहीं है कि आप इस नौबत तक आ जांय, आपस में हाथापाई करें । जिस बात को हाउस ने नोटिस में नहीं लिया, उस के लिये लड़ने लगें । आज तक हाउस में कभी एसा नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ है । यह बहुत गलत बात आप ने की है । आप की जगह मुझे बदलनी पड़ेगी—अगर इस तरह से करेंगे । यह बहुत गलत है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि आज इन तत्वों का मिनिस्टर साहब ख्याल रखें, आज इन्हीं की शक्ल बनारस में दिखाई देती है.......

अध्यक्ष महोदय : आप शक्ल की बात छोड़िये, आधा मिनट में खत्म कीजिये ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने खत्म कर दिया है ।

PROF. S. NURUL HASAN: In a classic Greek tragedy there is room for various types of actors.... (*Interruptions*). The hon. Member has asked me about the bomb incident. The matter is being investigated by the police and therefore whatever I may submit is subject to final verification from the police. I have been informed that on the 14th March at about 11.30 p.m. when the Registrar came to his residence there was a big explosion. He came out of the car and rushed towards the residence. A couple of minutes later some others also came out and saw that something had, exploded towards the left-hand side of the car and pieces of paper were spread around towards the right side of the road near the gate. An object like a country-made bomb was found and the doctor's office and the police was informed, and they came and took the object supposed to be the bomb in their possession as also the fragments of the exploded object. The police are investigating into the matter further. Investigations are going on and I am not in a position to say who are the persons responsible and what type of object it was that had exploded.

I should like to make one submission. I would not subscribe to the view that the officers of the U.P. Government and the district authorities in charge of law and order are not giving their cooperation to the university. To the best of my knowledge the district authorities have been giving full co-operation to the university authorities. Regarding the RSS building, I wish, I could answer

as to when the processes of law would be ended. Unfortunately I am neither in a position to say when the court would take a decision nor am I prepared to subscribe to any action which is extra legal and which is not sanctioned by the procedures of law. The hon. member gave the information that there are 32 shakas of RSS functioning in the university. This is at varience with the information have received. This is a matter on which I would not comment.

13 hrs.

The hon. member rightly said that if there is any wrongful disciplinary action, it should be withdrawn. I just now said in my principal statement that the disciplinary action is based on the report of an impartial high-powered committee. Its impartiality can be seen from the fact that out of 16 students in whose respect the report was submitted, the committee found that cases were not proved against 10 and recommended action only against 6. And, the university accepted it. Even in the case of 16 students against whom the inquiry committee has not yet reported, they have been provisionally permitted to attend classes. Therefore, I would not say that wrongful disciplinary action is being taken against anyone.

He wanted that the Government should strengthen the hands of the Vice-Chancellor. I have already said that in unequivocal terms and I do not think there is any scope for any confusion. As regards communal elements of whatever type they may be, I hope that the universities can be protected from fissiparous and communal tendencies and elements which wish to exploit the young people in the universities.

Lastly, I would again renew my appeal. The best service which the hon. leaders of public opinion can render to a university is, please do not unduly try to use the difficulties of a university in order to score a political advantage or a debating point. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : आपने 377 का झगड़ा छेड़ दिया है । इस में बड़ा लिमिटेड स्कोप है। इसको भी आपने कालिंग एटेंनशन बनाना शुरू कर दिया है ।

13.03 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS OF SOME MINISTRIES/DEPARTMENTS FOR 1973-74, REPORT OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL FOR 1971-72, UNION GOVT. APPROPRIATION ACCOUNTS (P&T), 1971-72, ANNUAL REPORT INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA AND NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): I beg to lay on the Table:

(1) A copy each of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the following Ministries/Departments for 1973-74:—

(i) Ministry of Commerce

(ii) Ministry of Communications

(iii) Ministry of External Affairs

(iv) Ministry of Home Affairs

(v) Ministry of Information and Broadcasting

(vi) Ministry of Labour and Rehabilitation

(vii) Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(viii) Ministry of Planning

(ix) Ministry of Works and Housing

(x) Department of Culture

(xi) Department of Electronics